

पत्र संख्या—वनभूमि—26/2015 1977

व०प०

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक

सुनील कुमार,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक— 21/04/2016

विषय :— पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा राँची वन प्रमंडल अंतर्गत मौजा—ब्राम्बे में होटल प्रबंधन संस्थान के निर्माण हेतु कुल 4.05 हेठल वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :— आपका पत्रांक—3993 दिनांक—21.12.2015 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक—108 दिनांक—28.01.2016

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के संदर्भ में पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा राँची वन प्रमंडल अंतर्गत मौजा—ब्राम्बे में होटल प्रबंधन संस्थान के निर्माण हेतु कुल 4.05 हेठल वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव की सम्यक समीक्षोपरांत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या—11-09/98-FC दिनांक—25.02.2016 द्वारा प्रदत्त शक्ति के आलोक में राज्य सरकार के निर्णयानुसार सैद्धान्तिक सहमति निम्नांकित शर्तों के साथ दी जाती है :—

- (1) वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।
- (2) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के अनुरूप प्रस्तावित वनभूमि के NPV का भुगतान करना प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।
- (3) यदि NPV के दर में वृद्धि की जाती है, तो बढ़ी हुई राशि का भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण को करना होगा।
- (4) प्रस्तावित संस्थान के निर्माण के क्रम में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन कर कार्य किए जाने वाले 2.93 हेठल वनभूमि के समतुल्य अवकृष्ट वनभूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगा।
- (5) प्रस्तावित संस्थान के निर्माण के उपरान्त खाली स्थलों पर यथासंभव पर्याप्त संख्या में वृक्षारोपण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जाएगा।
- (6) प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त राशि झारखण्ड CAMPA के खाता में जमा करना होगा।
- (7) प्रस्तावित संस्थान के निर्माण के क्रम में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जाएगा।
- (8) प्रस्ताव में उल्लिखित प्रयोजन से इतर अन्य प्रयोजन के लिए वनभूमि का उपयोग प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नहीं किया जाएगा।
- (9) भविष्य में यदि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त शर्त लगाई जाती है, तो प्रयोक्ता अभिकरण को इसका अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- (10) किसी शर्त का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी उचित माध्यम से वन (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत जारी दिशा—निदेश की कंडिका 1.9 के अनुरूप कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार को प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

o/c

सैद्धांतिक सहमति के शर्तों के अनुपालन होने के उपरांत अंतिम स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

विश्वासभाजन

लेखा ४/१६

(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक— वनभूमि—26 / 2015 **1977**

व0प0, राँची दिनांक— **21.04.2016**

प्रतिलिपि—सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली—110003 / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची बंगला नं०—A-2, श्यामली कॉलोनी, राँची—834002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

लेखा ४/१६

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक—वनभूमि—26 / 2015 **1977**

व0प0, राँची दिनांक— **21.04.2016**

प्रतिलिपि—प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

लेखा ४/१६

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक—वनभूमि—26 / 2015 **1977**

व0प0, राँची दिनांक— **21.04.2016**

प्रतिलिपि— प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोड, झारखण्ड, राँची / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची / वन प्रमंडल पदाधिकारी, राँची / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची / कार्यपालक अभियंता, पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

लेखा ४/१६

सरकार के उप सचिव